

दिनांक 07.11.17

पत्रावली का अवलोकन किया। मूल दावा लोक अदालत अभियान 2017 के अन्तर्गत खारिज किया जा चुका है। यह प्रार्थना पत्र सहवन से लम्बित है। जब मूल दावा ही खारिज हो चुका है तो प्रार्थना पत्र चलने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।



(पुष्कर कुमार मित्तल)  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official